



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक...../रा0, बोकारो, दिनांक...../...../2025

सेवा में,

महालेखाकार, झारखण्ड,
पोस्ट-हिनु, राँची।

विषय :- मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 23.08.2016 के मद संख्या 25 में लिये गये निर्णय के आलोक में बोकारो जिला अंतर्गत चास अंचल के मौजा- काण्ड्रा, थाना नं०-51, खाता नं०-134, प्लॉट नं०-5026, रकवा 1.10 एकड़ एवं प्लॉट सं० 5027, रकवा-2.48 एकड़, कुल रकवा-03.58 एकड़ अधिग्रहित भूमि, किस्म जंगल साल, गौडा III सरकारी भूमि औद्योगिक विकास हेतु झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृति।

1. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रायोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उस प्रायोजन हेतु उसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रायोजन हेतु उसका उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।

2. (a) इस औद्योगिक विकास हेतु चयनित भूमि का हस्तान्तरण प्राधिकार Jharkhand Industrial Area Development Authority (JIADA) के हस्तान्तरण के लिए बोकारो औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा अध्याचना किया गया है।

(b) औद्योगिक विकास हेतु चयनित सरकारी भूमि का हस्तान्तरण स्थायी होगा।

(c) हस्तान्तरित भूमि के मूल्य का भुगतान प्राधिकार को भूमि हस्तान्तरित करने के समय से 05 (पाँच) वर्षों तक अथवा प्राधिकार द्वारा भूमि का आवंटन उद्यमी/ईकाई को होने तक, जो पहले हो उस समय तक नहीं करना होगा। यदि पाँच वर्षों तक भूमि किसी भी उद्यमी/ईकाई को आवंटित नहीं होता है, तो उक्त सरकारी भूमि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस कर दी जायेगी। यदि पाँच वर्षों के अन्दर JIADA द्वारा किसी उद्यमी/ईकाई को भूमि आवंटित किया जाता है, तो उस समय Indian Stamp Act 1899 के अन्तर्गत संबंधित जिलों के जिला निबंधक द्वारा निर्धारित बाजार दर पर भूमि मूल्य का भुगतान JIADA द्वारा पाँच बराबर किस्तों (बिना सूद के) में पाँच वर्षों के अंदर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत सरकारी कोष (0029 शीर्ष अन्तर्गत) में किया जायेगा। इस प्रायोजन हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र सं०- 3842, दिनांक 24.11.2023 का संबंधित प्रावधान प्रभावी नहीं होगा।

यदि पाँच वर्षों तक भूमि किसी उद्यमी/ईकाई को आवंटित नहीं किया जाता है, परन्तु उस समय JIADA उक्त भूमि को उद्योग के लिए विकसित कर लेने अथवा अन्य कारणों से रखना चाहे तो JIADA को भी इस कंडिका के अनुरूप उस समय Indian Stamp Act 1899 के अन्तर्गत जिला निबंधक द्वारा निर्धारित बाजार दर पर भूमि का मूल्य पाँच बराबर किस्तों (बिना सूद के) में पाँच वर्षों में भुगतान करना होगा।

परन्तु उपरोक्त हस्तान्तरित भूमि का मौजा में प्रचलित लगान एवं सेस के वार्षिक अदायगी, जियाडा को करना होगा।

(d) भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त विद्युत पथ एवं जल इत्यादि आधारभूत संरचना की व्यवस्था प्राधिकार द्वारा अपने संसाधन से किया जाएगा।



- (e) उद्यमियों को हस्तान्तरित भूमि का आवंटन झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन 2016 में किये गये प्रावधानों के तहत किया जाएगा।
- (f) अधिवाचित भूमि की आवश्यकता एवं उपयोगिता का आकलन उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित कर किया जायेगा।
- (g) उद्यम / ईकाई को उपरोक्त प्रक्रिया के तहत प्राप्त भूमि का आवंटन जियाडा Jharkhand Industrial Area Development Authority Regulation 2016 में दिए गए प्रावधानों के आलोक में करेगी।
- (h) भूमि हस्तान्तरण के पश्चात यदि अनुपयोगी भूमि की आवश्यकता होती है, तो यथा स्थिति उद्योग विभाग से NOC लेकर वापस लिया जा सकेगा।
3. अन्य सभी शर्त "इस्टेट मैनुअल" में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

हो/-

उपायुक्त,
बोकारो।

ज्ञापांक/रा0, दिनांक/2025

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, चास को उनके कार्यालय पत्रांक 605/भू0सु0, दिनांक 30.07.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अभिलेख सं0-03/25-26 मूल में वापस किया जा रहा है।
अनुलग्नक:-मूल अभिलेख।

हो/-

उपायुक्त,
बोकारो।

ज्ञापांक 2160 /रा0, दिनांक 08/08 /2025

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सरकार के सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- विकास आयुक्त, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- आयुक्त के सचिव, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय निदेशक, जियाडा, बोकारो प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बोकारो को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला अवर निबंधक, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं जिला पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

हो/-

उपायुक्त,
बोकारो।